न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/72/2017

उनवान

1. श्रीमती पारसी पुत्री मांगू कलाल, निवासी गणेशपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. मोहन लाल पिता मांगु कलाल निवासी गणेशपुरा तहसील हुंरडा जिला भीलवाडा
2. रामपाल पुत्र चांदमल कलाल निवासी गणेशपुरा
3. शिवकिशन पुत्र चांदमल कलाल निवासी गणेशपुरा
4. मु0 नाथी (माफी) पत्नी चांदमल कलाल निवासी गणेशपुरा
5. बलवीर पुत्र गोपी लाल कलाल निवासी गणेशपुरा
6. संजय पुत्र गोपी लाल कलाल निवासी गणेशपुरा
7. सांवर पुत्र गोपी लाल कलाल निवासी गणेशपुरा
8. मु0 गीता पत्नी गोपी लाल कलाल निवासी गणेशपुरा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हुरडा जिला भीलवाडा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 1699/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.8.2016

अभिभाषक : 1. श्री रामस्वरूप जोशी , अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री एस एल त्रिवेदी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री बी एल गुर्जर, अधिवक्ता प्रत्यथी संख्या 2 से 8

आदेश

दिनांक 12.4.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पाटियों का खेडा पटवार हल्का लाम्बा तहसील हुरडा में खाता संख्या 92 पर आराजी नम्बर 203 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 204 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 205 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा आराजी नम्बर 216 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

219 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर230 रकबा 2 बिस्वा, आराजी नम्बर 231 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा स्थित है। इसी प्रकार मौजा लाम्बा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा में खाता संख्या 280 पर आराजी नम्बर 408/1996 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा आराजी स्थित है। खातेदार श्रीमती लहरी पत्नी मांगू कलाल की दिनांक 27.9.2009 को मृत्यु हो चुकी है जिसका वारिस वादी है। उपरोक्त वर्णित आराजी में सम्मिलित रूप से वादी का 1/3 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/3 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 से 7 का 1/3 हक हिस्सा है। इसी हक हिस्से अनुसार पक्षकारान का कब्जाकाश्त व उपयोग–उपभोग चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजियात राजस्व रेकार्ड में संयुक्त दर्ज होने से जमीन को विकसित करने, घास काटने, फसल काटने लगान जमा कराने इत्यादि में काफी परेशानी होती है इसलिए वादी का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन करा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 11.6.2012 द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया गया एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया । विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 23.7.2013 को निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी की गई। निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 23.7.2013 के संदर्भ में प्रतिवादी के द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 152 जाब्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत किया गया । बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय न संशोधित आदेश एवं डिक्री दिनांक 5.8.2013 पारित की गई। अपीलाण्ट ने न्यायालय हाजा में मोहन लाल आत्मज मांगू कलाल/अपीलाण्ट ने अपील प्रस्तुत की जो अपील नम्बर 177/2013 दर्ज की गई। बाद विचारण निर्णय दिनांक 25.8.2015 द्वारा अपीलाण्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करने प्रकरण को रिमाण्ड किया गया । उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर, में अपील प्रस्तुत की । बाद विचारण माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा अपीलाण्ट/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं

प्रस्तुत कर अपील को खारिज किये जाने का निवेदन किया। जिस पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर, द्वारा अपीलार्थी की अपील खारिज की गई। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पुनः पंजिबद्ध किया गया एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.8.2016 द्वारा वादी का वाद लोक अदालत की भावना से खातेदारों के मध्य प्रस्तुत राजीनामा अनुसार अंतिम रूप से डिक्री किया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 96 सी पी सी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में अपीलाण्ट/प्रार्थीया हितबद्ध पक्षकार है । इसलिए अपीलाण्ट/प्रार्थीया को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अपीलाण्ट/प्रार्थीया को पक्षकार नहीं बनाया गया था एवं अधीनस्थ न्यायालय में वादी एवं प्रतिवादीगण ने मिलीभगत कर राजीनामा प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राप्त की थी। इसलिए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की यथासमय अपीलाण्ट/प्रार्थीया को जानकारी नहीं हो सकी। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 15.2.2017 को बताने पर जानकारी हुई। तब अपीलार्थीया ने नकल हेतु आवेदन किया एवं दिनाक 15.2.2017 को नकल प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की ई है। इसलिए अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः विलम्ब की अवधि को कण्डोन किये जाने का निवेदन किया।

6. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि ग्राम गणेश पुरा तहसील हुरडा के निवासी अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 वादी के पिता व रेस्पोडेण्ट संख्या 2,3, व 5 से 7 के दादा व रेस्पोडेण्ट

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संख्या 4, व 8 के ससुर श्री मांगु कलाल थे। उनका पारिवारिक सजरा निम्नानुसार है :–

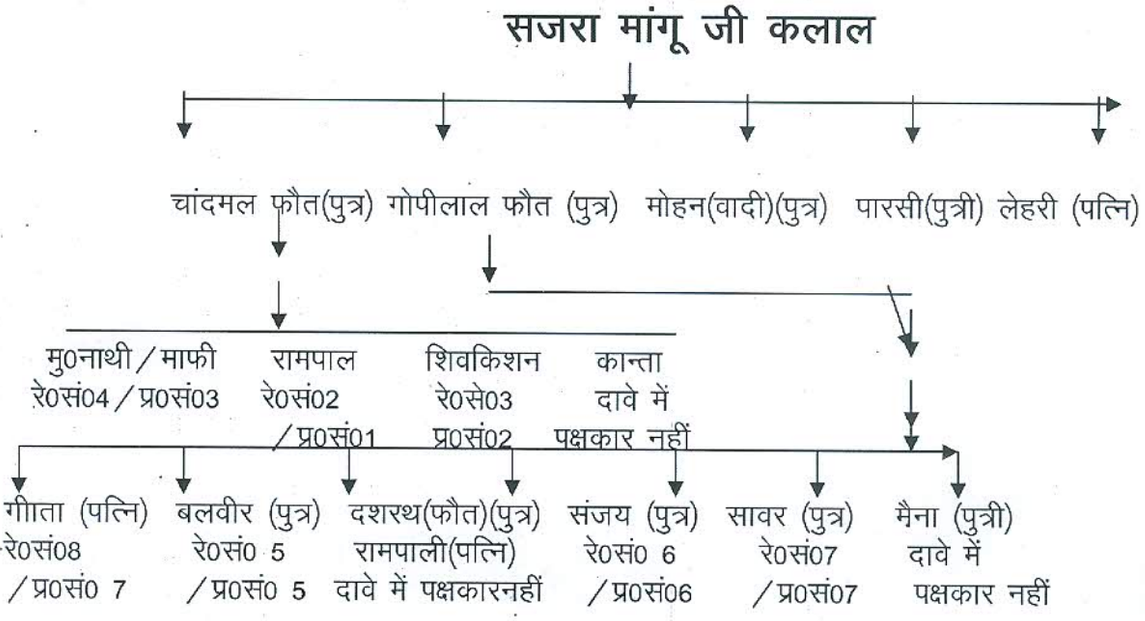

7. मामले में अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु के उपरान्त उनकी जमीन जायदाद बतौर मालिक व वारिस अपीलाण्ट व उनके तीनों पुत्रों चांदमल, गोपी लाल, मोहन लाल एवं उनकी पत्नि लेहरी देवी थी। इस कारण मांगू जी की जमीन का बतौर विरासत से नामान्तरकरण व खाता अपीलाण्ट व उनके तीनों पुत्रों चांदमल, गोपी लाल, माहन लाल व उनकी पत्नि लेहरी देवी के नाम से खोला जाना चाहिये था जो न खोलकर नामान्तरकरण केवल मात्र उनके तीनों पुत्रों चांदमल , गोपी लाल, मोहन व उनकी पत्नि लेहरी देवी के नाम खोल दिया गया । जबकि चांदमल, गोपी लाल, मोहन व उनकी पत्नि लेहरी देवी के साथ–साथ अपीलाण्ट जो कि मृतक मांगू की पुत्री है जो भी मांगू की जमीन जायदाद में अपना हक हिस्सा रखती है मामले में मांगू जी की जायदाद में 1/5 वॉ हिस्सा मांगू जी की मृत्यु के बाद अपीलाण्ट के आना चाहिये था जिसे बतौर विरासत से अपीलाण्ट के नाम दर्ज न कर केवल मात्र मृतक मांगू के तीनों पुत्रों व पत्नि के नाम ही दर्ज कर दिया । मांगू जी की कृषि आराजियात मौजा पाटियों का खेडा पटवार हल्का लाम्बा तहसील हुरडा में खाता संख्या 92 पर आराजी नम्बर 203 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 204 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 205 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा आराजी नम्बर 216 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 219 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर230 रकबा 2

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बिस्वा, आराजी नम्बर 231 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा स्थित है। इसी प्रकार मौजा लाम्बा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा में खाता संख्या 280 पर आराजी नम्बर 408/1996 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा स्थित है। जिसमें अपीलाण्ट का मांगू जी की मृत्यु के उपरान्त 1/5 वॉ हिस्सा निहित था। जिसे पटवारी हल्का से मिलीभगत कर अपीलाण्ट के भाईयों एवं माता ने अपने नाम दर्ज करवा ली । जबकि इस भूमि पर अपीलाण्ट भी काबिज हो अपने हिस्से अनुसार काश्त करती चली आ रही है।

8. अपीलाण्ट के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि मांगू जी की मृत्यु के उपरान्त अपीलाण्ट के भाईयों एवं माता के नाम पर वादग्रस्त भूमि आने के उपरान्त गोपी की मृत्यु हो गई। गोपी की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिसान बलवीर, संजय, व उनकी पत्नि गीता के नाम भूमि दर्ज की है। जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई। इसी तरह अपीलाण्ट के भाई चांदमल की भी मृत्यु हो गई जिनके बजाय उनके वारिस पत्नि नाथी/माफी व पुत्र रामपाल,शिवकिशन के नाम दर्ज की गई। इसके बाद अपीलाण्ट की माता का भी निधन हो गया और माता लेहरी की मृत्यु के बाद विरासत से खाता नहीं खाला उससे पूर्व ही अपीलाण्ट के भाई मोहन जो कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 है ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.9.2010 को एक वाद बाबत विभाजन रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगायत 8 के विरूद्ध पेश किया जिसमें उपरोक्त वर्णित आराजियात में 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से अनुसार विभाजन की डिक्री चाही गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज कर रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगायत 9 को प्रतिवादी बनाते हुए सूचना पत्र जारी किये तथा मामले में प्रतिवादी नम्बर 1,3,4,5,7 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया तत्पश्चात मामले में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य राजीनामा होकर दोनो पक्षों ने राजीनामा कर विवादित आराजियात का 1/3, 1/3 हिस्से अनुसार मामले को आपस में मिलीभगत कर विवादित आराजियात का विभाजन करवा लिया । जबकि उक्त वर्णित आराजियात में मांगू व मांगू की पत्नि लेहरी की कृषि आराजियात में उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलाण्ट का 1/4 हक हिस्सा बनता है । जबकि अपीलाण्ट का नाम दर्ज नहीं कर अपीलाण्ट के केवल मात्र अपीलाण्ट की माता का आया 1/4 वे हिस्से में से बतौर वारिस अपीलाण्ट अपीलाण्ट की माता के मृत्यु

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

उपरान्त विरासत से खाता खोला गया । उसमें 1/4 वें हिस्से में से बतौर वारिस अपीलाण्ट के नाम दर्ज किया गया जो केवल मात्र संपूर्ण कृषि आराजियात के रकबे का 1/16 वां हिस्सा ही दर्ज किया जबकि अपीलाण्ट का मृतक मांगू व मृतक लेहरी देवी के सम्पूर्ण कृषि आराजियात के रकबे में 1/4 वॉ हिस्सा बनता है जो दर्ज नहीं कर केवल 1/16 वॉ हिस्सा ही दर्ज किया गया है। विभाजन सहमति से रेस्पोडेण्ट संख्या 1–8 ने आपस में मिलीभगत कर अपने नाम करवा लिया । इस प्रकार अपीलाण्ट उपरोक्त आराजियात में से 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अपीलाण्ट ने अपने अधिकारों की रक्षा हेतु अलग से घोषणा का वाद पत्र दायर किया जा रहा है।

9. अधिवक्ता अपीलाण्ट का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। वादी मोहन लाल द्वारा मृतक मांगू के वारिसान की सही जानकारी नही देकर तथ्यो को छुपाकर विभाजन की डिक्री जरिये राजीनामा प्राप्त की है। मृतक मांगू के खाते की कृषि आराजियात में विरासत से खाता अपीलाण्ट के नहीं खोला केवल मात्र मृतक मांगू के विरासत का खाता मात्र उनके पुत्र व पत्नी के नाम खोल दिया गया जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया था इसलिए अपीलाण्ट अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गई है। जिससे अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिल पाया है। अधीनस्थ न्यायालय में आपसी राजीनामे से वाद का निस्तारण कराया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित कर पुनःप्रकरण में अपीलाण्ट को पक्षकार संयोजित करते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया जावे।

10. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन मामले में निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित की गई जिसकी अपील अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता 97 के अनुसार प्रारंभिक डिक्री के विरूद्ध यदि अपील पेश नहीं की थी , अंतिम डिक्री से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

उत्पन्न अपील में प्रारंभिक डिक्री की शुद्धता को व्यथित पक्षकार द्वारा आक्षेपित नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने तर्को की पुष्टि में आर आर टी 2012 (1) 351, आर बी जे 2012 (19) पेज 173 प्रस्तुत कर अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

11. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलाण्ट/प्रार्थीया द्वारा अपील के साथ धारा 96 सी पी सी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति चाही थी। जिस पर इस न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी दिनांक 20.2.2018 को स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की गई हैं।

12. अपीलाण्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलाण्ट ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद मानी जाती है।

13. अपीलाण्ट ने अपने पिता मांगू कलाल की आराजियात में से मांगू कलाल की मृत्यु एवं मांगू कलाल की पत्नि लेहरी (अपीलाण्ट की माता) की मृत्यु के उपरान्त 1/4 हक हिस्से की अधिकारी होना बताते हुए अपील प्रस्तुत की एवं निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में उसे पक्षकार संयोजित नहीं किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय में वादी एवं प्रतिवादीगण ने मिलीभगत कर राजीनामा प्रस्तुत कर वाद का निस्तारण अपीलाण्ट के धोखे में रखकर करवा लिया था। जिसकी जानकारी यथासमय अपीलाण्ट को नहीं मिली । जानकारी होने पर अपील प्रस्तुत की गई हैं । अपीलाण्ट प्रकरण में पक्षकार नहीं थी एवं उसके द्वारा निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री की कोई अपील नहीं की गई है। साथ ही अपीलाण्ट द्वारा अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु के उपरान्त खोले गये नामान्तरकरण को निरस्त कराने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 ने न्यायिक उद्धरण 2017 (Suppl.) सिविल केसेज (एस सी) पेज 792, आर आर टी 2012 (1) 351, आर बी जे 2012 (19) पेज 173 प्रस्तुत कर अपील अपीलाण्ट खारिज किये

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

जाने का निवेदन किया । उपरोक्त न्यायिक उद्धरण में माननीय न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि '' सिविल प्रकिया संहिता 97 के अनुसार प्रारंभिक डिक्री के विरूद्ध यदि अपील पेश नहीं की थी , अंतिम डिक्री से उत्पन्न अपील में प्रारंभिक डिक्री की शृद्धता को व्यथित पक्षकार द्वारा आक्षेपित नहीं किया जा सकता है।'' ऐसी स्थिति में उपरोक्त न्यायिक उद्धरण के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अपीलाण्ट पृथक से अपने हक हकूकों की घोषणा एवं तदनुसार विभाजन के लिए चाराजोही करने को स्वतंत्र है।

14. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित फाईनल डिक्री निर्णय दिनांक 30.8.20165 को यथावत रखा जाता है परन्तु पृथक से दायर वाद पर उक्त निर्णय की प्रारंभिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। डिक्री पर्चा मूर्तिब किया जावे।

15. निर्णय आज दिनांक 12.4.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

12/4/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/72/2017

उनवान

1. श्रीमती पारसी पुत्री मांगू कलाल, निवासी गणेशपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. मोहन लाल पिता मांगु कलाल निवासी गणेशपुरा तहसील हुंरडा जिला भीलवाडा
2. रामपाल पुत्र चांदमल कलाल निवासी गणेशपुरा
3. शिवकिशन पुत्र चांदमल कलाल निवासी गणेशपुरा
4. मु0 नाथी (माफी) पत्नी चांदमल कलाल निवासी गणेशपुरा
5. बलवीर पुत्र गोपी लाल कलाल निवासी गणेशपुरा
6. संजय पुत्र गोपी लाल कलाल निवासी गणेशपुरा
7. सांवर पुत्र गोपी लाल कलाल निवासी गणेशपुरा
8. मु0 गीता पत्नी गोपी लाल कलाल निवासी गणेशपुरा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हुरडा जिला भीलवाडा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के
प्रकरण संख्या 1699/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.8.2016

अभिभाषक : 1. श्री रामस्वरूप जोशी , अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री एस एल त्रिवेदी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री बी एल गुर्जर, अधिवक्ता प्रत्यथी संख्या 2 से 8

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/72/2017** में **उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:–

यह अपील तारीख 12.4.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री रामस्वरूप जोशी वकील एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से श्री एस एल त्रिवेदी एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 8 श्री बी एल गुर्जर की उपस्थिति मे दिनांक 12.4.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित फाईनल डिक्री निर्णय दिनांक 30.8.2016 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 12.4.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

12/4/18

(निमिषा गुप्ता)
भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट

1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट

1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस